

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 417]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2015—आश्विन 21, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-41-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति मेहगांव के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगरपालिका गोरमी, तहसील गोरमी, जिला भिण्ड के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 1.704 हेक्टर भूमि का क्षेत्रः—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	1725	0.115
2	1745	0.126
3	1747	0.115
4	1748	0.105
5	1749	0.115
6	1750	0.125
7	1751	0.240
8	1752	0.125
9	1753	0.157
10	1754	0.167
11	1755	0.314
योग . .		1.704

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—निजी भूमि एवं तालाब.

दक्षिण में—निजी भूमि एवं बिजली घर.

पूर्व में—शासकीय रास्ता.

पश्चिम में—आवासीय मकान.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-41-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधक अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 13th October 2015

No. D-15-41-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Mehgown has been established by this department's Notification even dated 4th July, 1955 shall be sub market yard, namely:—

PLACE

An area of 1.704 Hectare's land of below mentioned Khasra number at Municipal Corporation, Gormi in Tehsil Gormi of District Bhind:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hector) (3)
1	1725	0.115
2	1745	0.126
3	1747	0.115
4	1748	0.105
5	1749	0.115
6	1750	0.125
7	1751	0.240
8	1752	0.125
9	1753	0.157
10	1754	0.167
11	1755	0.314
Total . .		1.704

BOUNDED BY

On the North by—Private Land and Pond.

On the South by—Private Land and Electric Power House.

On the East by—Govt. Way.

On the West by—Residencial House.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-41-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 1955 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण मेहगांव, जिला भिण्ड के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती हैः—

क्षेत्र

- (1) नगरपालिका गोरमी, तहसील गोरमी, जिला भिण्ड की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः—

 - (1) कल्याणपुरा, (2) रजगढ़िया, (3) दौनियापुरा, (4) सुनारपुरा, (5) प्रतापपुरा, (6) मोहनपुरा, (7) सिलौली, (8) परोसा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-41-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 13th October 2015

No. D-15-41-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number dated 4th July 1955 the following area of Mehown of District Bhind shall be Sub market area :—

AREA

- (1) An area within the limit of Municipal Corporation, Gormi in Tehsil Gormi of District Bhind.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard, namely:—
 - (1) Kalyanpura, (2) Rajgadhiya, (3) Doniyapura, (4) Sunarpura, (5) Pratappura, (6) Mohanpura, (7) Silouli, (8) Parosa.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.